



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062022-236529
CG-DL-E-13062022-236529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]
No. 423]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2022/ज्येष्ठ 23, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 2022/JYAISHTHA 23, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

सा.का.नि. 444(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में कनिष्ठ आसूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (कनिष्ठ आसूचना अधिकारी) समूह “ख” पद भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.--भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता :- वह व्यक्ति
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. आरंभिक गठन.- इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची में वर्णित पद पर नियमित आधार पर पद धारण करने वाले व्यक्तियों को, इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उक्त प्रारंभ से पूर्व में इस पद पर उनके द्वारा उक्त पद पर नियमित आधार पर की गई सेवा को, उनकी परीक्षा की अवधि, ज्येष्ठता, पेंशन लाभ और अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता तय करने के लिए, ध्यान में रखा जाएगा।
6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकारी की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल की जा सकती है।
7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी	195* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख", अराजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर- 6 (रु० 35400-112400)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक; ii. शारीरिक मानक: (क) ऊंचाई – पुरुषों के लिए- 165 सेमी	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। (सीधे भर्ती और पदोन्नत लोगों के लिए)।	i. प्रतिनियुक्ति द्वारा- 30 प्रतिशत; ii. सीधी भर्ती द्वारा- 60 प्रतिशत; iii. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा- 10 प्रतिशत।

महिलाओं के लिए 152 सेमी टिप्पण- असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू- कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के पहाड़ी और जनजाति लोगों के लिए 5 सेमी शिथिल की जा सकती है। (ख) छाती -सभी अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी (विस्तार के साथ) 76 सेमी (बिना विस्तारित) (महिला अभ्यर्थियों की दशा में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी) (ग) दृष्टि- नेत्र-दृष्टि (चश्मे सहित या चश्मे रहित। (क) एक में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 की दूर दृष्टि। (ख) एक आंख में 0.6 और दूसरी आंख में 0.8 की निकट दृष्टि। टिप्पण- अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपबंध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,- (क) i. जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा ii. जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रूपए 29,200-92,300) अथवा समतुल्य में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों- आवश्यक- शैक्षणिक अर्हता- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री और अनुभव: ii. विनियामक विधियों के प्रवर्तन और इससे संबंधित आसूचना के संग्रहण में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय:-दांडिक अपराधों या आर्थिक अपराधों के अन्वेषण में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण:- 1. पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति/ आमेदन पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण:-2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर -बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के वेतन- मैट्रिक्स के स्तर-01 (रूपए 18000-56900/-) में ऐसे विभागीय सिपाही, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-01 में ऐसे हवलदार और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-04 (रूपए 25500-81100/-) में ऐसे निगरानी सहायक जिनके पास,- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री हो, ii. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के सिपाही या हवलदार के लिए स्तर-1 की श्रेणी में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा हो, iii. निगरानी सहायक के लिए स्तर-04 की श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा हो, iv. सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में उल्लिखित शारीरिक मानक हो।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1) उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष; (2) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य; (3) उप सचिव या अवर सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. I-12014/3/2017-एन.सी.बी.-II]

सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2022

G.S.R. 444(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Intelligence Officer in the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Junior Intelligence Officer) Group 'B' post Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial Constitution.- The persons holding the post mentioned in the Schedule on the date of commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post on regular basis before the said commencement shall be taken into account for deciding their period of probation, seniority, pensionary benefits and eligibility for promotion to the next higher grade.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Intelligence Officer.	195* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group- 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government Servant upto five years in accordance with instructions or order issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification: (i) Graduate in any discipline from a recognised university; (ii) Physical Standard: (a) Height - For men – 165 cms For women – 152 cms Note: Relaxable for Hillman and tribal those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh, Union territory of Jammu and Kashmir, Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep– 5 cms; (b) Chest – 76 cms (unexpanded) with 5 cms expansion for all candidates (there shall be no such requirement in case of female candidates); (c) Vision- Eyesight (with or without glasses). (A) Distant vision 6/6 in one and 6/9 in the other eye (B) Near vision 0.6 in one eye and 0.8 in other eye. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years (for direct recruits and promotees).	(i) 30 per cent. by deputation; (ii) 60 per cent. by direct recruitment; (iii) 10 per cent. by Limited Departmental Competitive Examination .

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Centre Government or State Government or Union territories,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) with six years regular service in level-5 (Rs.29,200-92,300) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- Essential: (i) Educational Qualification : Bachelors' Degree from a recognised university or institute; and (ii) Experience: two years' experience in enforcement of regulatory laws and collection in Intelligence thereto. Desirable: One year experience in investigation of criminal offences or economic offences. Note 1: The Departmental Officer in the feeder category shall not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Limited Departmental Competitive Examination (LDCE):- The departmental Sepoy in level-1 (Rs. 18000-56900/-) of the pay matrix, Havaladar in level-1 of the pay matrix and Surveillance Assistant in level-4 (Rs. 25500-81100/-) of the pay matrix of Narcotics Control Bureau having,- (i) Bachelor degree from a recognised university or institution; (ii) eleven years' regular service rendered in the grade in level-1 for Sepoy or Havaladar of Narcotics Control Bureau; (iii) six years regular service rendered in the grade in level-4 for Surveillance Assistant; (iv) Physical standard as mentioned in Column (7) for direct recruitment.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Deputy Director General, Narcotics Control Bureau - Chairman; (2) Deputy Director, Narcotics Control Bureau - Member; (3) Deputy Secretary or Under Secretary, Ministry of Home Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. I-12014/03/2017-NCB-II]

SUNIL KUMAR BARNWAL, Jt. Secy.